

प्रपत्र FORM XLV

डी.बी.ओ.सी.डब्ल्यू(आर.ई. एवं सी.एस.) नियमावली, 2002 का नियम 283 देखें

See Rule 283 of DBOCW (RE&CS) Rules, 2002

परिवार पेन्शन हेतु आवेदन-पत्र Application for Family Pension

1.	आवेदक का नाम एवं पता Name & Address of applicant	
2.	पेन्शनभोगी/कामगार का पता Address of the pensioner/worker	
3.	कामगार के साथ रिश्ता Relation with worker	
4.	कामगार के निधन की तिथि Date of death of the worker	
5.	कामगार द्वारा प्राप्त की गई मासिक पेन्शन Monthly pension received by the worker	
6.	कामगार द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी अथवा किसी अन्य संस्था से पेन्शन प्राप्त की जा रही है? यदि हाँ, तो उसका ब्योरा दें Whether applicant is receiving pension from Govt./Semi Govt. or any other institution? If yes, details thereof	
7.	क्या आवेदक द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी अथवा किसी अन्य संस्था से वेतन प्राप्त किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उसका ब्योरा दें Whether applicant is receiving salary from Govt./Semi Govt./ Pvt. Institutions? If yes, details thereof	
8.	प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सूची List of the documents submitted.	

उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

The facts furnished above are true to my knowledge and information.

आवेदक के हस्ताक्षर

Sign. of the applicant _____

आवेदक का नाम

Name of the applicant _____

स्थान Place.....

दिनांक Date.....

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची List of documents to be submitted along with application.

1. कामगार का मृत्यु प्रमाण-पत्र Death certificate of worker.
2. कामगार एवं आवेदक के बीच रिश्ता दर्शाने वाला ग्राम अधिकारी का प्रमाण-पत्र Village Officer's Certificate showing relationship between the applicant and the worker.
3. आवेदक द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी/ निजी संस्था से कोई पेन्शन प्राप्त नहीं की जा रही है इस संबंध में ग्राम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र Village Officer's Certificate stating that the applicant is not receiving any pension from Govt/ Semi Govt/ Pvt. Institutions/Origination.
4. आवेदक द्वारा सरकारी/अर्ध सरकारी/ निजी संस्था से कोई वेतन प्राप्त नहीं किया जा रहा है इस संबंध में ग्राम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र Village Officer's Certificate stating that the applicant is not receiving any salary from Govt./ Semi Govt./ Pvt. Institutions/ Origination.